लौंग पार्लियामेंट और उसके संवैधानिक प्रयोग

भाग -1

स्नातक प्रथम वर्ष

द्वितीय पत्र

ई कंटेंट

डॉ0 राजीव कुमार

सहायक प्राध्यापक

इतिहास विभाग

लंगट सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

Dr Rajeev Kumar

- लौंग पार्लियामेंट का कार्यकाल 1640-1660 तक माना जाता है। इस दौरान पार्लियामेंट ने कई तरह के संवैधानिक प्रयोग किए।
- गृहयुद्ध के बाद चार्ल्स के समक्ष सेना ने *हेड्स ऑफ प्रोपोजल* नामक प्रस्ताव रखा। इसके 3 प्रस्ताव विशेष महत्वपूर्ण है-
  I. प्रत्येक 2 वर्ष पर संसद का चुनाव कराया जाए और मतदाताओं की संख्या को बढाया जाए।
  II. सेना और विदेश नीति पर एक कौंसिल का पूर्ण नियंत्रण हो। इस कौंसिल के सदस्यों का मनोनयन संसद के सदस्यों द्वारा किया जाए।
  III. बिशप व्यवस्था को राजधर्म घोषित किया जाए। कैथोलिकों को छोडकर अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए।
- इस प्रस्ताव को राजा ने स्वीकृति नहीं दी। उसके बाद सैन्य न्यायालय ने राजद्रोह का मुकदमा चलाकर राजा को 30 जनवरी 1649 को फाँसी की सजा दे दी गई।

Dr Rajeev Kumar

- इसके साथ हीं इंगलैण्ड में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। आखिर शासन का प्रधान कौन होगा? कार्यपालिका को नेतृत्व कौन प्रदान करेगा? सेना और संसद में प्रभावशाली भूमिका किसकी होगी?
- चूँकि गृहयुद्ध में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। अत: आगे की रणनीति भी सेना को हीं तय करना था। सैनिक परिषद ने शासन को सुचारु रुप से संचालन के लिए *एग्रीमेंट ऑफ दी पीपुल (AGREEMENT OF THE PEOPLE)* नामक प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार-

1) वर्तमान संसद को अप्रैल तक भंग कर दिया जाए।
2) लॉर्ड्स सभा को समाप्त कर दिया जाए। भविष्य में संसद का सिर्फ एक हीं सदन हो जिसके सदस्यों की संख्या 400 रखी जाए।
3) गरीब कर देने वाले सभी को मताधिकार दिया जाए।
4) राजा के समर्थकों को मताधिकार से वंचित रखा जाए।
5) कार्यकारिणी हेतु कौंसिल ऑफ स्टेट की नियुक्ति की जाए। कौंसिल ऑफ स्टेट का सदस्य किसी दूसरी सेवा में ना रहे।

Dr Rajeev Kumar

6) राष्ट्रीय चर्च की स्थापना हो तथा सभी धर्मावलंबी के साथ सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए।

7) एग्रीमेंट ऑफ दी पीपुल की धाराओं में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है।

- यह प्रस्ताव कभी क्रियांवित नहीं हो सका क्योंकि इसे जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था।

रंप पार्लियामेंट (1649-1653)

- वास्तव में राजा के बाद शासन की बागडोर रंप पार्लियामेंट के हाथों आ गई थी।
- इस पार्लियामेंट ने 41 सदस्यों की एक कमिटी बनाई थी जिसे कौंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। यही कमिटी शासन संचालन का काम देखती थी।
- इसने राजशाही को राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनहित के लिए खतरनाक बताते हुए इसके समाप्ति की घोषणा कर दी।
- लॉर्ड्स सभा को भी अनुपयोगी मानते हुए समाप्त कर दिया।

Dr. Rajeev Kumar

- इंगलैण्ड को कॉमनवेल्थ घोषित कर दिया गया।
- कार्यकारिणी, विधायी और प्रशासनिक शक्ति रंप पार्लियामेंट के हाथों आ गई। इस प्रकार रंप पार्लियामेंट सर्वोच्च संस्था बन गई। यहाँ तक की न्यायपालिका कार्यों में भी रंप पार्लियामेंट हस्तक्षेप करने लगी।
- अपने उपर किसी भी तरह के नियंत्रण के अभाव की वजह से रंप पार्लियामेंट अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगी।
- ओलिवर क्रॉमवेल आयरलैण्ड और स्कॉटलैण्ड के विद्रोह को दबाने में व्यस्त था। वापस आने के बाद इंगलैण्ड की स्थिति को देखकर उसे बहुत हीं क्षोभ हुआ।
- रंप पार्लियामेंट के कार्यों से असंतुष्ट होकर क्रॉमवेल ने इसे और कौंसिल ऑफ स्टेट दोनों को भंग कर दिया।
- चूँकि क्रॉमवेल एक सेना का अधिकारी था और उसकी नियुक्ति गृहयुद्ध के दौरान संसद ने हीं की थी। इस वजह से वह स्वयं को एकमात्र वैध उत्तराधिकारी मानता था। इसी तर्क के सहारे वह संसद और कौंसिल ऑफ स्टेट दोनों को भंग कर दिया।

Dr Rajeev Kumar

- आगे उसने स्वयं जनसमर्थन की उपेक्षा कर सैन्य बल के सहारे शासन करने की कोशिश की।

Dr Rajeev Kumar